

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक - नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थायीकरण/2019/189

दिनांक 23-06-2019

—:आदेश:—

निदेशालय के आदेश संख्या 218 दिनांक 12.08.2016, 220 दिनांक 16.08.2016 एवं 121 दिनांक 08.02.2017 के द्वारा दो वर्ष के परीक्षाकाल पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों का फार्मासिस्ट के पद पर चयन कर नियुक्तिया प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परीक्षाकाल सतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 के नियम-31 के तहत एतद् द्वारा स्थायी किया जाता है। इन्हे परीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 15(1)एफडी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं सशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में फार्मासिस्ट के पद की पे-मैट्रिक्स L-10 में न्यूनतम वेतन रूपये 33800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	कार्यग्रहण तिथि	परीक्षा काल पूर्ण करने की दिनांक	2 वर्ष पश्चात् परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	अब्दुल आलिम उस्ता	03.04.1989	बीकानेर	17.08.2016	01.11.2018	02.11.2018
2	महावीर प्रसाद शर्मा	01.01.1990	झुंझुनू	17.08.2016	16.08.2018	17.08.2018
3	दिनेश कुमार कल्याण	14.09.1989	झुंझुनू	17.08.2016	16.08.2018	17.08.2018
4	नितिन बुन्देला	01.01.1991	झुंझुनू	17.08.2016	16.08.2018	17.08.2018
5	सुरेन्द्र कुमार सैनी	10.01.1984	झुंझुनू	17.08.2016	16.08.2018	17.08.2018
6	मधु गहन	10.05.1985	झुंझुनू	17.08.2016	16.08.2018	17.08.2018
7	मधुसूदन शर्मा	03.08.1981	अलवर	14.02.2017	13.02.2019	14.02.2019
8	श्रवण कुमार शर्मा	25.07.1980	अलवर	15.02.2017	14.02.2019	15.02.2019
9	आदित्य कुमार	20.09.1982	अलवर	16.02.2017	15.02.2019	16.02.2019
10	रतनलाल निठारवाल	15.10.1982	सीकर	16.02.2017	15.02.2019	16.02.2019
11	अनिता चौधरी	09.06.1984	जयपुर	22.08.2016	21.08.2018	22.08.2018
12	सुरजीत सिंह यादव	27.02.1990	जयपुर	09.02.2017	08.02.2019	09.02.2019
13	हिम्मत कुमार शर्मा	19.09.1984	जयपुर	09.03.2017	08.03.2019	09.03.2019
14	सजय कुमार वर्मा	27.06.1980	जयपुर	28.02.2017	27.02.2019	28.02.2019
15	श्वेता शर्मा	30.08.1989	जयपुर	05.09.2016	22.11.2018	23.11.2018
16	पंकज नागर	27.10.1982	कोटा	27.02.2017	26.02.2019	27.02.2019
17	मनीष मीणा	10.12.1981	कोटा	02.09.2016	01.09.2018	02.09.2018
18	राजभरतन मीणा	10.06.1986	कोटा	02.09.2016	01.09.2018	02.09.2018
19	चेतन किराड	30.06.1986	टोंक	19.08.2016	18.08.2018	19.08.2018
20	अनवर हुसैन	06.08.1976	टोंक	22.08.2016	21.08.2018	22.08.2018
21	रजन बैरवा	14.03.1982	टोंक	05.09.2016	04.09.2018	05.09.2018
22	अंजना आर्य	20.04.1974	करौली	17.08.2016	16.08.2018	17.08.2018
23	सुशील वर्मा	05.09.1982	हनुमानगढ़	06.09.2016	05.09.2018	06.09.2018
24	सदीप कुमार	06.05.1990	हनुमानगढ़	02.09.2016	01.09.2018	02.09.2018
25	रजनीश बसल	30.01.1984	हनुमानगढ़	30.08.2016	29.08.2018	30.08.2018
26	विष्णु	14.05.1991	हनुमानगढ़	19.08.2016	18.08.2018	19.08.2018
27	नरेन्द्र सिंह	13.05.1987	हनुमानगढ़	30.08.2016	29.08.2018	30.08.2018
28	रघुना खण्डेलवाल	07.06.1977	कोटा	03.10.2016	02.10.2018	03.10.2018

नोट: क्रम सं 01 पर अंकित अब्दुल आलिम उस्ता द्वारा परीक्षाकाल में 107 दिवस असाधारण अवकाश पर रहने के कारण नियमानुसार 30 दिवस से अधिक अवधि 77 दिवस परीक्षाकाल में वृद्धि की गयी है एवं क्रम सं 01 पर अंकित श्वेता शर्मा द्वारा परीक्षाकाल में 109 दिवस असाधारण अवकाश पर रहने के कारण नियमानुसार 30 दिवस से अधिक अवधि 79 दिवस परीक्षाकाल में वृद्धि की गयी है।

उक्त कार्रवाई का उक्तानुसार वेतन निर्धारण एवं सेवा पुरस्कार में तत्संबंधी इन्द्राज संबंधित कार्यालयध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक - नार्सिंग / फार्मासिस्ट / स्थायीकरण / 2019 / 189

दिनांक 23-04-2019

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, (ईएसआई योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर।
- 2 विशेषाधिकारी, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, मुख्यालय।
- 3 संबंधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
- 4 संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
- 5 संबंधित अधीक्षक, सलग्न चिकित्सालय समूह।
- 6 संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 7 संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 8 संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 9 आदेश / निजी पत्रावली।
- 10 प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

(गुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर